न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 118 / 2025
GCMS No.- 2025/171

प्रार्थीगण :–

1. केवाराम पुत्र कसनाजी रेबारी, आयु 40 वर्ष, जाति रेबारी, पेशा खेती, निवासी वेलागंरी, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.)।
2. सवाराम पुत्र कसनाजी रेबारी, आयु 42 वर्ष, जाति रेबारी, पेशा खेती, निवासी वेलागंरी, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.)।

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, सिरोही तहसील व जिला सिरोही (राज.)।
2. कालीदेवी पत्नि ईसारामजी, आयु वयस्क, जाति सरगडा, निवासी वेलागंरी, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.)।
3. नारायणलाल पुत्र ईसारामजी, आयु वयस्क, जाति सरगडा, निवासी वेलागंरी, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.)।
4. हिरालाल पुत्र ईसारामजी, आयु वयस्क, जाति सरगडा, निवासी वेलागंरी, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.)।

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर।
2. अप्रार्थी सं. 01 स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही।
3. अप्रार्थी सं. 02 ता 04 की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही।

–: राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: आदेश :– **दिनांक 09.01.2026**

प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.07.2025 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में इस प्रकार है प्रार्थीगण के खातेदारी और कब्जे काश्त, हक अधिकार की कृषि भुमि ग्राम वेलागंरी, पटवार हल्का वेलागंरी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कृष्णगंज, तहसील सिरोही, जिला सिरोही (राज.) मे आई हुई है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत 2072–2075 में निम्न प्रकार से अंकित है :–

क्र.सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1.	399	870	2.4300 हैक्टेयर

कुल खसरा 1 रकबा 2.4300 हैक्टेयर

उपर्युक्त आराजी के आस पास अन्य खातेदारान् के खातेदारी की कृषि आराजी आई हुई है। प्रार्थीगण के खातेदारी की उपर्युक्त आराजी के चारो ओर मौके पर सीमा चिन्ह मौजुद नहीं है, कृषि भूमि की सीमाओं के चिन्ह मौजुद नही होने से पडौसी खातेदारो द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर अवैद्य रूप से कब्जा करने का प्रयास क़रते रहते हैं जिससे हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी तहसीलदार महोदय व उनके अधीनस्थ कार्यरत राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर उपर्युक्त वर्णित आराजी की सीमाओ को तयकर पत्थरगढी करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया था लेकिन अप्रार्थी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों (पटवारी महोदय) द्वारा सीमाज्ञान नही किया गया और न ही पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह अंकित किए गए। जब प्रार्थीगण ने उपर्युक्त वर्णित आराजी की सीमा चिन्ह अंकित कर पत्थरगढी करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी द्वारा श्रीमान न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लाने व उसके बाद पत्थरगढी किए जाने का कहा गया। प्रार्थीगण उपर्युक्त वर्णित आराजी के खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सीमा का ज्ञान करने और सीमा को चिन्हीत कर पत्थरगढी करवाये जाने का पुरा अधिकार है जिससे की प्रार्थीगण को अपने आराजी की सीमाओ का ज्ञान हो सके तथा पडोसी खातेदारान से किसी भी प्रकार से सीमा का विवाद नही रहे जिस हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र वास्ते सीमाकंन व पत्थरगढी करने हेतु प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की ग्राम वेलागंरी, पटवार हल्का वेलागंरी में स्थित आराजी खसरा संख्या 870 आठ सौ सत्तर, रकबा 2.4300 हैक्टेयर दो दशमलव तैयालिस हैक्टेयर की नपाई तथा उसकी सीमा पर सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) अंकित किये जाने का आदेश पारित करना फरमावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ मौजा वेलांगरी, पटवार हल्का वेलांगरी के जमाबंदी की प्रति तथा मौका फर्द का अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्ट्यां सहमत होने से दिनांक 17–07–2025 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामील होने के पश्चात अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिए क्रमांक/कोर्ट/2025/841 दिनांक 08–10–2025 के द्वारा प्रस्तुत जवाब को पत्रावली में दिनांक 15–10–2025 को शामिल मिसल किया गया। प्रति वकील प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी स्टेट ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 870 रकबा 2.43 हैक्ट. किस्म बा.–ा सवाराम पुत्र श्री कसना जी व

केवाराम बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 118/2025
GCMS No.- 2025/171

केवाराम पुत्र श्री कसना जी निवासी वेलांगरी नाम पर दर्ज हैं। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 870 की आराजी का सीमा ज्ञान कार्यालय तहसीलदार, सिरोही के आदेश क्रमांक/2024/1566 दिनांक 29.05.2024 को सीमा ज्ञान कराने पर पाया गया कि प्रार्थीगण की आराजी के खसरा नम्बर 870 के आंशिक भाग पर पडौसी खातेदार 866 खसरा नम्बर के खातेदारान् का कब्जा आंशिक भाग पर होना पाया गया हैं। खसरा नम्बर 870 के खातेदारान् पर 866 के खातेदारान का कब्जा (अतिक्रमण) का नक्शा संलग्न हैं। अतः प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किया जाना उचित रहेगा।

विचारण प्रकरण में दिनांक 17–11–2025 को वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर वकील प्रार्थीगण और पैरोकार सरकार द्वारा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 870 के पडौसी खसरा संख्या 866 के खातेदारान् ने प्रार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी की कृषि भूमि के कुछ भू–भाग पर अवैद्य रूप से कब्जा करने से खसरा संख्या 866 के खातेदारान् को प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के रूप में जोडे जाने और तदनुसार प्रार्थना पत्र में संशोधन किये जाने की आज्ञा प्रदान करना फरमावे। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार द्वारा बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय पूर्ण निनिश्चयन के लिए वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर खसरा सं. 866 के खातेदार कालीदेवी, नारायणलाल तथा हिरालाल को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये जाते है। बकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनवान दिनांक 17/11/2025 को शामिल किया गया।

प्रकरण मे सुनवाई दिनांक 14–01–2025 को अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को जारी Regd./Ad नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी दौराने सुनवाई न्यायालय में हाजिर होने के लिए बार बार आवाजें लगवाने के बावजूद स्वयं या इनके वकील प्रतिनिधि कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश दिये गये।

विचारण प्रकरण में वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर इस न्यायालय में वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस करने से मेरे द्वारा अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार ने स्टेट के जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया।

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा वेलागंरी में खाता संख्या 399 खसरा नम्बर 870 रकबा 2.4300 हैक्टेयर, तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब का अवलोकन तथा वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार की बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

केवाराम बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 118/2025
GCMS No.- 2025/171

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा वेलागंरी, पटवार हल्का वेलागंरी के खाता संख्या 399 खसरा नम्बर 870 रकबा 2.4300 हैक्टेयर की आराजी की सीमा पर सीमाचिन्ह पुराने समय से मौके पर नहीं है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु भारी परेशानी का सामना करना पड रहा तथा भविष्य में ओर भी कानूनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थीगण से उक्त भूमि के सीमाज्ञान का निर्धारित फीस राजकोष मे जमा कराने के उपरान्त प्रार्थीगण के खातेदारी की उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के लिये नायब तहसीलदार सिरोही की अध्यक्षता मे पटवारी वेलांगरी व भू.अ.नि. कृष्णगंज की कमेटी का गठन कर प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

(हरि सिंह देवल)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 4-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)